छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
Email :- henv.cg@nic.in

// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12/01/2022

क्रमांक एफ 7–48/2021/32 :: राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019–24 में बायो एथेनॉल (ग्रेन बेस्ड) को उच्च प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसमें उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल अनाज है, अतः बायो एथेनॉल की स्थापना से जिससे कृषि उत्पदों को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रदेश में धान/मक्का की पैदावार का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकेगा। भारत सरकार खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक F. No. 1113/2020–SP-I दिनांक 14.01.2021 द्वारा एथेनॉल को बढ़ावा देने हेतु योजना लागू की गई है।

2/ भारत सरकार के उपरोक्त योजना अनुसार बायोमास जैसे कि मक्का और स्टैम्स, खोई, गन्ने की खोई, भूसी, भूसा अथवा गैर खाद्यान्न बायोमास फीड स्टॉक्स से जैव एथेनॉल के उत्पादन पर बल देना है। उपरोक्त आधार पर प्रदेश में प्रभावशील विकास योजनाओं/प्रक्रियाधीन विकास योजनाओं में कृषि प्रयोजन अंतर्गत एथेनॉल (ग्रेन बेस्ड) सह–कैपटीव पावर प्लांट सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार उपयोग की श्रेणी अंतर्गत समाहित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु कृषि क्षेत्रांतर्गत एथेनॉल आधारित उद्योग की स्थापना हेतु स्थल की न्यूनतम आवश्यकता, आबादी क्षेत्र से दूरी, मार्ग की चौड़ाई, पार्किंग, एफ.ए.आर. आदि के लिए विकास योजनाओं में प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

3/ अतएव छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 73 की उपधारा (1) में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी करता है :–

(1) प्रदेश में अंगीकृत विकास योजनाओं के स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग की सारिणी में कृषि भूमि उपयोग श्रेणी में अधिशेष खाद्यान्न आधारित बायो एथेनॉल (ग्रेन बेस्ड) सह–कैपटीव पावर प्लांट उत्पादन संयंत्र को भी शामिल किया जाता है।

(2) विकास नियमन निम्नानुसार होंगें :–

(i) भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल – 30 एकड़।
(ii) पहुंच मार्ग की चौड़ाई – 30 मीटर और 30 मीटर से अधिक।
(iii) पार्किंग, एफ. ए. आर. भवन की ऊंचाई, भू–आच्छादन क्षेत्र आदि -- औद्योगिक प्रयोजन हेतु छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में दिये गये प्रावधान अनुसार।
(iv) आबादी क्षेत्र से दूरी – न्यूनतम 500 मीटर।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

12/1/2022

(श्री. तिर्की)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

आवक क्रमांक 27
दिनांक 12.01.2022

पृ. कमांक–एफ 07–48/2021/32 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12/01/2022

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
2. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय,
3. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर,
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
5. आदेश फोल्डर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

22/1/2022

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग